जल संरक्षण अभियान 2025

उत्तराखण्ड शासन

स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन आथॉरिटी उत्तराखण्ड

SPRING AND RIVER REJUVENATION AUTHORITY
Uttarakhand
SARRA

जल संरक्षण अभियान

2025

स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन आथॉरिटी
उत्तराखण्ड

अध्याय-1

परिचय

जल संरक्षण अभियान - 2025

राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों के जल प्रवाह पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा मानव निर्मित कारकों के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को आधुनिक तकनीक से प्रबंधन एवं विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के मध्य प्रभावकारी समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु शासनादेश संख्या 169384/2023-07(05)(XIII-A-1)/2023 दिनांक 17 नवम्बर, 2023 द्वारा राज्य स्तरीय Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) का गठन एवं संरचना स्वीकृत की गयी है।

इस परिपेक्ष्य में नवगठित Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) के माध्यम से विगत वर्ष में राज्यान्तर्गत जल संरक्षण अभियान 2024 का सफल आयोजन किया गया था। इस अभियान द्वारा राज्यान्तर्गत विभिन्न रेखीय विभागों/समस्त जनपदों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा लगभग 3.21 मिलियन घन मीटर वर्षा जल संग्रहण क्षमता का सृजन किया गया था।

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्यान्तर्गत जल संरक्षण अभियान 2025 गतिमान हैं। जल संरक्षण अभियान के महत्व को देखते हुये, इसमें अधिक से अधिक जन समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। अभियान की सफलता तथा अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु State SARRA Centre (राज्य स्तरीय मुख्यालय) द्वारा जल संरक्षण व संवर्धन गतिविधियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष जल संरक्षण अभियान 2025 के क्रियान्वयन/संचालन निम्न प्रक्रियानुसार किया जाना है :-

जल संरक्षण अभियान 2025 की योजना

यह अभियान तीन स्तरों पर क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस अभियान में ग्राम स्तर से जनपद एवं राज्य स्तर पर सभी हितभागियों को सम्मिलित किया जायेगा। यह अभियान प्रत्येक ग्राम स्तर पर चिन्हित जल स्रोतों के पुनरोद्धार कार्य करेगा, विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न 10 critical जल स्रोत जिन पर पेयजल की विभिन्न योजनाएं आधारित हैं और इनका स्राव कम हो गया है को उपचारित किया जायेगा तथा जनपद स्तर पर 20 ब्लपजपबंसै जतमंडे को चिन्हित कर उपचार किया जाना प्रस्तावित है। इस अभियान में समस्त सम्बन्धित रेखीय विभाग, जनपद स्तर पर समन्वय/केन्द्राभिसरण कर इस जल संरक्षण अभियान 2025 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगें।

(01)-जल संरक्षण अभियान 2025-(ग्राम स्तर पर)-प्रत्येक जनपद द्वारा विभिन्न राजस्व ग्रामों में जल संरक्षण अभियान के अन्तर्गत ऐसे जल स्रोतों को चिन्हित किया जायेगा जिनमें विगत वर्षों में जल प्रवाह में कमी परिलक्षित हुई है, विभिन्न रेखीय विभागों यथा ग्राम विकास, पंचायती राज, पेयजल निगम, जल संस्थान आदि द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से इन जल स्रोतों के जल संग्रहण क्षेत्र में उपचार कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

जलस्रोतों के चयन में समुदाय की पेयजल हेतु निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता दिया जाना उचित रहेगा। विभिन्न रेखीय विभागों द्वारा उपरोक्तानुसार चयनित जल स्रोतों की उपचार योजना के लक्ष्यों एवं सापेक्ष प्रगति हेतु प्रारूप-1 में सूचना जनपद स्तरीय SARRA कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

इस वर्ष जल संरक्षण अभियान 2025 में अभिनव पहल के रूप में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यान्तर्गत **"धारा मेरा-नौला मेरा-गांव मेरा-प्रयास मेरा"** theme को व्यापक रूप से प्रचारित करने हेतु **"भगीरथ मोबाईल एप"** को अधिकाधिक जन समुदाय तक पहुंचाया जायेगा, जिसका प्रयोग समुदाय द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने ग्रामों में ब्लपजपबंस जल स्रोतों के चिन्हीकरण हेतु किया जायेगा। जिससे की आम जन मानस द्वारा राज्य के critical जल स्रोतों को उपचार हेतु चिन्हित करने में अपनी भागीदारी प्रदान की जा सकेगी।

उक्त **"भगीरथ मोबाईल एप"** के माध्यम से जनसमुदाय द्वारा चिन्हित लगभग 2000 जल स्रोतों को प्रथम चरण में उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। इन जल स्रोतों के उपचार हेतु Springshed Management Plan, निर्मित कर उपचार गतिविधियां सम्पादित की जायेगी। जिस हेतु उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रारूप–2 में ही सूचना प्रदान की जायेगी।

(02)–जल संरक्षण अभियान 2025–(विकासखण्ड स्तर पर)

प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर पेयजल निगम एवं जल संस्थान ऐसी योजनाओं को चिन्हित करेंगे, जो पेयजल उपलब्धता हेतु महत्वपूर्ण हों तथा जिनमें विगत वर्षों में जलप्रवाह में कमी परिलक्षित हुई हो। प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर ऐसे 10 चिन्हित किये गये critical जल स्रोतों के जल संग्रहण क्षेत्रों का उपचार जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार पूरे राज्य में अभियान के अंतर्गत लगभग 780 critical जल स्रोतों के जल संग्रहण क्षेत्र में उपचार गतिविधियाँ की जायेंगी।

यदि ऐसे स्रोतों को उपचार हेतु Springshed Management Plan, को SARRA कंवर्जेन्स के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो तो, सम्बन्धित विभाग SARRA कंवर्जेन्स हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त करते हुए, इन स्वीकृत प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्मित कर जल स्रोत के जल संग्रहण क्षेत्र में Potential Recharge Area में गतिविधियाँ आगामी माहों में सम्पादित करेंगे।

बिन्दु–01 व 02 में ग्राम स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर चयनित, ऐसे जल स्रोतों की उपचार सम्बन्धित सूचना–उपचार योजना के लक्ष्यों एवं सापेक्ष प्रगति हेतु प्रारूप–01 एवं 02 में सूचना जनपद स्तरीय SARRA कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(03)–जल संरक्षण अभियान 2025–(जनपद स्तर पर)–

प्रत्येक जनपद हेतु लक्षित 20 सहायक नदियों (Streams) को चिन्हित कर इनके कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण एवं सवंर्द्धन हेतु विभिन्न गतिविधियाँ सम्पादित की जायेंगी। इस आधार पर जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत पूरे राज्य में लगभग 260 सहायक नदियों (Streams) का उपचार किया जायेगा।

जनपद स्तर पर चिन्हित सहायक नदियों (Streams) के उपचार हेतु सम्बन्धित सूचना–उपचार योजना के लक्ष्यों एवं सापेक्ष प्रगति हेतु प्रारूप–3 में सूचना जनपद स्तरीय SARRA कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत ग्राम स्तर, विकासखण्ड स्तर तथा जनपद स्तर पर उक्तानुसार किये जाने वाले विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का नियोजन तथा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष, प्रगति का अनुश्रवण जिलाधिकारी स्तर से निरंतर किया जायेगा।

जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत ग्राम, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर जिन जल स्रोतों/धाराओं को उपचार हेतु चिन्हित किया जायेगा, उनकी जियो टैगिंग एवं स्राव/बहाव को उपचार गतिविधियों को क्रियान्वित करने से पूर्व मापा जायेगा, ताकि उपचार गतिविधियों से स्रोतों/Streams के स्राव/बहाव में पड़े प्रभाव को आंकलित किया जायेगा।

जल संरक्षण अभियान 2025 के अन्तर्गत जन–भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इस वर्ष निम्न गतिविधियाँ क्रियान्वित की जायेंगी–

- **"भगीरथ मोबाईल एप" द्वारा चिन्हिकरण**

1. राज्यान्तर्गत जल संरक्षण अभियान में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उदे्श्य से विभिन्न स्तरों पर समुदाय की भागीदारी तथा सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

2. इस हेतु SARRA द्वारा **"भगीरथ मोबाईल एप"** विकसित किया गया है, जिसका प्रयोग समुदाय द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने ग्रामों में critical जल स्रोतों के चिन्हीकरण हेतु किया जायेगा।

3. **"धारा मेरा-नौला मेरा-गांव मेरा-प्रयास मेरा"** theme को राज्यान्तर्गत व्यापक रूप से प्रचारित करते हुए **"भगीरथ मोबाईल एप"** को अधिकाधिक जन समुदाय तक पहुंचाया जायेगा।

4. राज्य के criticalty स्रोतों को उपचार हेतु चिन्हित करने हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत तक **"भगीरथ मोबाईल एप"** के QR Code के व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु आवश्यक गतिविधियां की जायेगी।

- **क्षमता विकास**

1. **जल संरक्षण अभियान 2025** हेतु जल स्रोतों के उपचार हेतु क्षमता विकास किये जाने हेतु प्रथम चरण में 200 ग्राम पंचायतों हेतु क्षमता विकास कार्यशालाएं आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

2. क्षमता विकास कार्यशालायें पंचायती राज विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रत्येक जनपद में पंचायती राज विभाग द्वारा उन ग्राम पंचायतो को चिन्हित किया जायेगा, जिनमें जल संरक्षण संवर्धन गतिविधियों की आवश्यकता हो, इन ग्रामों के 4 से 5 व्यक्तियों को क्षमता विकास हेतु चिन्हित किया जाये।

- **मा. जन प्रतिनिधियों द्वारा जन-भागीदारी**

1. जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां माह मई 2025 से मानसून अवधि तक क्रियान्वित की जायेगी, परंतु इस अभियान में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु 01 अप्रैल 2025 से जल संरक्षण अभियान हेतु **"गांव मेरा-नौला मेरा-धारा मेरा-प्रयास मेरा"** camping को राज्यान्तर्गत व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना प्रस्तावित है।

2. इस अवधि में जनपद/विकासखण्ड/ग्राम स्तर पर मा. जन प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रों में उपचार के कार्यों में सहभागिता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है, जिससे कि आम जनमानस इस महत्वपूर्ण एवं सम-सामयिकअभियान में अधिक से अधिक भागीदारी करते हुए, इसे सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान कर सकें।

3. इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों की सहभागिता भी इस अभियान के व्यापक सफलता हेतु ली जायेगी।

- **व्यापक जन सहभागिता एवं प्रचार-प्रसार -**

1. जनपद मुख्यालय तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों में जल संरक्षण जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जाना।

2. जनपद मुख्यालय तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों में जल संरक्षण सम्बन्धी पेन्टिंग प्रतियोगिता या अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाना तथा 05 विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाना।

3. जनपद से 05 चयनित पेन्टिंग को राज्य स्तर पर चयन कर पुरस्कृत करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु SARRAद्वारा धनराशि सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करायी जायेगी।

जल संरक्षण अभियान 2025 कार्यक्रम की रूप रेखाः-

दिनांक/माह	प्रस्तावित कार्यक्रम
28 अथवा 29 मार्च 2025	• मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा **"भगीरथ मोबाईल एप"** का लोकार्पण। • मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा प्रथम एक दिवसीय ग्राम पंचायत स्प्रिंगशैड प्रबन्धन कार्यशाला का शुभारम्भ। • जिसमें विभिन्न जनपदों की लगभग 50 ग्राम पंचायतों के 250 प्रतिनिधियों एवं जल संरक्षण तथा संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया जाना।
माह अप्रैल 2025	• **"धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा"** theme को राज्यान्तर्गत व्यापक रूप से प्रचारित करते हुए समुदाय हेतु क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन। • रेखीय विभागों यथा-पेयजल, सिंचाई, जल संस्थान इत्यादि द्वारा क्षेत्रान्तर्गत critical जलस्रोतों का चिन्हिकरण कर उपलब्ध कराया जाना। • ग्राम, विकासखण्ड तथा जनपद स्तर पर उपचार कार्यों का चिन्हिकरण एवं कार्ययोजना निरूपण।
01 मई से 05 मई 2025 तक	• विभिन्न स्तरों पर अर्न्तविभागीय समन्वय/केन्द्राभिसरण के पश्चात् विभिन्न विभागों हेतु लक्ष्य निर्धारण, तथा क्षमता विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।
06 मई से 31 मई 2025 तक	• विभिन्न स्तरों पर चिन्हित ग्रामों/स्रोतों/सहायक नदियों-धाराओं में उपचार कार्यों को प्रारंभ किया जाना तथा सम्बन्धित हेतु क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन।
'जल उत्सव सप्ताह' 01 जून से 15 जून 2025 तक	• विभिन्न जनपदों में मा. मंत्रीगणों द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 में भागीदारी। • विकासखण्ड स्तरीय जन प्रतिनिधियों एवं जन समुदाय द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 में भागीदारी। • ग्राम स्तर पर विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों एवं जन समुदाय द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 में भागीदारी। • विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों जागरूकता रैली आदि का विभिन्न स्तरों पर आयोजन। • विभिन्न स्तरों पर जन सहभागिता एवं जागरूकता के दृष्टिगत क्षमता विकास के कार्यक्रमों का आयोजन।
माह-जून एवं माह-जुलाई 2025	• उपचार कार्यों का क्रियान्वयन।
माह-जुलाई से माह-अगस्त 2025 तक	• वृक्षारोपण गतिविधियों का क्रियान्वयन।
माह दिसम्बर 2025 एवं जनवरी 2026	• उपचारित जल स्रोतों के स्राव/बहाव का मापन।
माह जून 2026	• उपचारित जल स्रोतों के स्राव/बहाव का मापन।

अध्याय–2

जल संरक्षण अभियान – 2025 का क्रियान्वयन

SARRA अंतर्गत जल स्रोतों एवं वर्षा आधारित नदियों/सहायक नदियों/धाराओं के उपचार हेतु कार्य योजना प्रस्तावों के चयन, प्राथमिकता निर्धारण, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया

स्प्रिंगशैड एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) का गठन उत्तराखण्ड कैबिनेट के अनुमोदन उपरान्त शासनादेश संख्या 169384/2023–07 (05)(XIII-A-1) 2023 दिनांक 17 नवम्बर 2023 द्वारा किया गया था। राज्य स्तर पर SARRA के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में जलागम विभाग के अधीन कार्य सम्पादित करेगी। SARRA अंतर्गत राज्य के विभिन्न जल स्रोतों यथा–वर्षा आधारित नदियों/सहायक नदियों/धाराओं, जलाशयों, तालाबों, भू–जल आदि के उपचार हेतु कार्य योजनाओं/प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु प्रकिया निम्नवत होगी:

1. जल स्रोतों का आंकलन एवं उपचार हेतु वरीयता निर्धारण:–

जनपद स्तर पर विभिन्न जल स्रोतों यथा स्प्रिंग एवं सहायक नदियों आदि की स्थिति का आंकलन करते हुए वरियता निर्धारित कर, उपचार हेतु चयनित किया जायेगा। SARRA द्वारा विभिन्न जल स्रोतों यथा–स्प्रिंग एवं सहायक नदियों आदि के उपचार हेतु चयन एवं वरीयता निर्धारण के विस्तृत मानक संलग्नक–1 में उल्लेखित किये गये हैं, जिनके आधार पर जनपद पर उपचार हेतु जल स्रोतों का चयन कर सकते हैं।

2. जल स्रोतों के उपचार योजना का निरूपण:–

- विभिन्न विभाग/कार्यदायी संस्थाएं प्राथमिकता निर्धारण के पश्चात्, विभिन्न जल स्रोतों यथा–स्प्रिंग एवं सहायक नदियों आदि के उपचार हेतु समग्र कार्य योजना का निर्माण करेंगे, जो कि सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- इन उपचार योजनाओं में जल स्रोतों एवं सहायक नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को चिन्हित कर इनमें उपचार गतिविधियों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा।
- चयनित उपचार योजनाओं की वृहद्ता एवं स्तर को दृष्टिगत रखते हुये कार्ययोजनाओं की अवधि एक से पांच वर्ष के लिए प्रस्तावित की जा सकती है।
- उपचार योजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं तथा जनपद SARRA Centre की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- Critical Springs के उपचार हेतु स्प्रिंगशैड मैनेजमैन्ट प्लान (Springshed Management Plan) निरूपित किये जायेंगे। स्प्रिंगशैड मैनेजमैन्ट प्लान (Springshed Management Plan) के अंतर्गत इन Critical Springs का रिचार्ज जोन/क्षेत्र Geo–Hydrological अध्ययन उपरांत निर्धारित किया जायेगा। इस कार्य हेतु विशेषज्ञों एवं तकनीकी संस्थानों/संस्थाओं से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- वर्षा आधारित सहायक नदियों/धाराओं आदि की उपचार योजनाओं का निरूपण भी वैज्ञानिक विधि से किया जायेगा, जिस हेतु प्रस्तावक विभाग सम्बन्धित विषयानुरूप ख्याति प्राप्त संस्थाओं/संगठनों/विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि रेखीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत जल संभरण क्षेत्रों में वृहद जल बैराज/चैक डेम इत्यादि प्रस्तावित किए जाते हैं, तो ऐसी योजनाओं के निरूपण में उक्त नदियों, धाराओं आदि के जल संभरण क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण गतिविधियों (उपचार योजना का न्यूनतम 10 प्रतिशत) को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

3 उपचार योजनाओं का वित्त पोषण

3.1 जनपद स्तर पर धनराशि ₹ 1 करोड़ तक के प्रस्तावों हेतु प्रक्रिया–

- मात्रांकित बजट धनराशि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्वतन पर रखी जायेगी।
- निरूपित योजनाओं में 50 प्रतिशत SARRA द्वारा प्रदत्त अंश के रूप में लिया जायेगा व शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभागों द्वारा convergence के माध्यम से वित्त पोषण किया जायेगा।
- योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण के पश्चात्, उपचार हेतु समग्र कार्य योजना का निर्माण सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- चिन्हित किये गये स्प्रिंग एवं नदियों हेतु निर्मित कार्य योजना का निरूपण सम्बन्धित विभागों में प्रचलित नियमों के अनुरूप ही किया जायेगा एवं योजना की तकनीकी स्वीकृति भी विभिन्न विभागों में प्रचलित नियमों के अनुरूप की जायेगी।
- उपचार योजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं तथा SARRA की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- वर्षा आधारित सहायक नदियों/धाराओं की उपचार योजनाओं का निरूपण वैज्ञानिक विधि से किया जायेगा।
- Critical Springs के उपचार हेतु Springshed Management Plan निरूपित किये जायेंगे।
- Springshed Management Plan के अंतर्गत Critical Springs का रिचार्ज जोन/क्षेत्र, Geo–Hydrological अध्ययन उपरांत निर्धारित किया जायेगा।
- विभिन्न विभाग जनपद स्तर पर धनराशि ₹ 1 करोड़ तक की उपचार योजनाएं District SARRA Centre को उपलब्ध करायेंगे,जो प्राप्त प्रस्तावों/कार्य योजनाओं को संकलित कर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति में प्रस्तुत करेंगे।
- समिति नियमानुसार प्रस्तावित कार्यों/उपचार योजनाओं का परिक्षण उपरांत, धनराशि ₹ 1 करोड़ तक की कार्य योजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान करेगी।
- जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरान्त विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपचार योजनाओं के वृहद योजना निर्माण (डी.पी.आर.) को वैज्ञानिक विधि से Geo–Hydrologicalअध्ययन के उपरांत उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप निरूपित किया जायेगा।
- योजना निरूपण के पश्चात् निर्धारित प्रारूपों में स्प्रिंगशैड रिजुविनेशन प्लान (Springshed Rejuvenation Plan) तथा स्ट्रीम रिजुविनेशन प्लान (Stream Rejuvenation Plan) से सम्बन्धित विवरण को अंकित करते हुए, निर्मित डी.पी.आर. के साथ District SARRA Centre के माध्यम से SARRA मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- SARRA मुख्यालय द्वारा इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा यदि आवश्यक होगा तो प्रस्तावों में संशोधन हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए जायेंगे, SARRA मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव पर सहमति के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

3.2–जनपद स्तर पर धनराशि ₹ 1 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों हेतु प्रक्रिया–

- जनपद स्तर पर धनराशि ₹ 1 करोड़ से अधिक की कार्य योजनाएं भी बिन्दु संख्या 2 एवं 3.1 में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार ही निरूपित की जायेंगी।
- चयनित critical जल स्रोतों/नदियों/धाराओं के उपचार हेतु कार्ययोजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सम्बन्धित प्रस्तावक विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
- प्रस्तावों की तकनीकी स्वीकृति तथा अन्य स्वीकृतियाँ सम्बन्धित विभागों में प्रचलित नियमों के अनुसार की जायेगी।

- विभिन्न विभागों द्वारा जनपद स्तर पर निरूपित की गयी, धनराशि ₹ 1 करोड़ से अधिक की उपचार योजनाएं District SARRA Centre को उपलब्ध करायी जायेंगी, जो प्राप्त प्रस्तावों / कार्य योजनाओं को संकलित कर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति में प्रस्तुत करेंगे।
- जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तावों/कार्य योजनाओं कीप्राथमिकता निर्धारित करते हुये अनुमोदन उपरांत State SARRA Centre को उच्च स्तरीय SLEC / HPC से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित की जायेगी।
- यदि रेखीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत जल संभरण क्षेत्रों में वृहद जल बैराज/चैक डेम इत्यादि प्रस्तावित किए जाते हैं, तो ऐसी योजनाओं के निरूपण में उक्त नदियों, धाराओं आदि के जल संभरण क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण गतिविधियों (उपचार योजना का न्यूनतम 10 प्रतिशत) को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा। यदि ऐसी कोई योजनाएं पूर्व से निरूपित की जा चुकी हैं व स्वीकृत भी हो चुकी हैं तथा ऐसी योजनाओं में अब SARRA से Critical Gap Funding की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है।
- उच्च स्तरीय SLEC / HPC से स्वीकृति प्राप्तहोने के उपरान्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु, प्रथम चरण में कार्ययोजना की 20 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपद स्तर पर District SARRA Centre स्वीकृत उपचार योजना के अनुसार बजट का आवंटन चिह्नित कार्यदायी संस्थाओं को करेगा।

➢ **जनपद स्तर पर धनराशि ₹ 1 करोड़ तथा धनराशि ₹1 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों /कार्य योजनाओं/योजनाओं (DPR) के अन्तर्गत मात्रांकित बजट-**

S. No.	Project Interventions
1	DPR Preparation (1-2% of total project cost)
2	Total cost of Interventions / Activities
3	Monitoring & Evaluation (2% of total project cost)

4. उपचार योजनाओं का क्रियान्वयनः-

- नियोजन प्रक्रिया में चिन्हित किये गये स्प्रिंग एवं नदियों हेतु निर्मित कार्य योजना की तकनीकी स्वीकृति विभिन्न विभागों में प्रचलित नियमोंके अनुरूप ही की जायेगी।
- यद्यपि वर्षा आधारित नदियों/धाराओं आदि की उपचार योजनाएं वृहद प्रकार की होंगी, एवं उनके उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जाना प्रस्तावित होगा। इस हेतु District SARRA Centre की मुख्य भूमिका होगी कि उपचार योजना के अनुसार कार्यों एवं बजट का आवंटन चिन्हित कार्यदायी संस्थाओं को करें।
- वर्षा आधारित नदियों/धाराओं आदि की वृहद उपचार योजनाओं जोकि 1 वर्ष से अधिक की होर्गी, के लिए मुख्य कार्यदायी संस्था / प्रस्तावक विभाग वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन District SARRA Centre द्वारा उचित माध्यम से कराया जायेगा। District SARRA Centre इन वार्षिक कार्य योजनाओं को अपनी समेकित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर State SARRA Centre को प्रेषित करेगा।

स्प्रिंगशैड मैनेजमैन्ट प्लान(Springshed Management Plan) के उपचार में सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम स्तरीय धारा नौला संरक्षण समिति का सहयोग सुनिश्चित करेगें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों का सतत् रूप से अनुरक्षण सामुदायिक सहभागिता से सुनिश्चित किया जायेगा।

District SARRA Centre के कार्य एवं दायित्वः-

- विभिन्न जल स्रोतों एवं वर्षा आधारित सहायक नदियों / धाराओं, जलाशयों आदि की स्थिति का आंकलन, प्राथमिकता निर्धारण कर (मानकों के अनुरूप), और इनके चरणबद्ध रूप से उपचार / पुनरोद्धार किये जाने हेतु विभिन्न विभागों / कार्यदायी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करेगा।
- चयनित किये गये critical जल स्रोतों/नदियों/धाराओं/भूगर्भ जल के उपचार हेतु उपचार योजना का निर्माण सम्बन्धित प्रस्तावक विभागों / कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा, जिस हेतु District SARRA Centre द्वारा सम्बन्धितों को आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा।
- निर्मित उपचार योजनाओं की तकनीकी / प्राविधिक स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्तावक विभागों/कार्यदायी संस्थाओं में प्रचलित नियमों के अनुरूप सम्बन्धित द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त कर District SARRA Centre को उपलब्ध करायी जायेगी।
- उक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों / कार्य योजनाओं को संकलित कर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें समिति नियमानुसार प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण, केन्द्राभिसरण की व्यवस्था, कार्यदायी संस्थाओं का चयन आदि बिन्दुओं पर चर्चा / विचारोपरांत धनराशि ₹ 1 करोड़ तक की कार्य योजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान करेगी। धनराशि ₹ 1 करोड़ से अधिक के कार्य योजनाओं / परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति हेतु राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रदान करेगी।
- क्षमता विकास एवं प्रचार प्रसार :- जल स्रोतों एवं नदियों के पुनरोद्धार हेतु प्रदेश के समस्त हितभागियों को इस विषय पर जागरूक किया जायेगा। राज्य, जनपद तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें वैज्ञानिक रूप से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने तथा सहभागी अनुरक्षण की अवधारणा को व्यापक रूप से अपनाये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

अध्याय-3

संलग्नक-1

उपचार हेतु जल स्रोतों/धाराओं/नदियों का चयन

SARRA द्वारा राज्यान्तर्गत विभिन्न जल आंकलित जल स्रोतों कार्ययोजना निरूपण अन्तर्गत विभिन्न विभागों / कार्यदायी संस्थाओं द्वारा Critical सूख रहे जल स्रोतों एवं सहायक नदियों/धाराओं का चिन्हीकरण एवं जल संग्रहण क्षेत्रों की पहचान निम्न मानकों के आधार पर किया जा सकता है :-

1.1 Critical सूख रहे जल स्रोतों / Spring Rejuvenation क्षेत्रों के चयन हेतु मानक-

I. पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु जल उपलब्धता का प्रमुख आधार प्राकृतिक जल स्रोत है। विभिन्न कारणों से कई जल स्रोतों में जल के प्रवाह में कमी परिलक्षित हुई है। जिसके फलस्वरूप कई जल स्रोत, जिनमें पूर्व में वर्ष भर जल उपलब्धता बनी रहती थी, ऐसे जल स्रोतों में अब जल प्रवाह मौसमी (Seasonal) रूप में (बारह माह से कम होकर, आठ माह, छः माह, चार माह अथवा दो माह की अवधि तक ही) सीमित रहा गया है। अतः जनपद स्तर पर इस प्रकार के जल स्रोतों को उपचार किए जाने हेतु चिन्हित कर, प्राथमिकता निर्धारण करते हुए उपचार योजनाएं चरणबद्ध रूप से तैयार किया जाना आवश्यक है।

II. जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विभिन्न जल स्रोतों में जल स्राव/प्रवाह को बनाये रखने, पुनर्जीवित किये जाने हेतु विभिन्न उपचार गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं।

III. चिन्हित जल स्रोतों के उपचार हेतु अधिकाधिक विभागीय बजट / Convergence से किया जायेगा।

IV. प्राथमिकता निर्धारण किए जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्न बिन्दुओं / मानकों का उपयोग कर विभिन्न जल स्रोत उपचार योजनाओं को चरणबद्ध रूप से वरीयता क्रम में अंकित किया जा सकता है, ताकि निर्धारित वरीयता क्रम के अनुरूप जनपद स्तर पर उपचार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके-

- ऐसे बारह मासी जल स्रोत जो पूर्णतः सूख गये हों।
- बारह मासी से मौसमी जल स्रोत में परिवर्तित हुये जल स्रोत में जल की माहवार उपलब्धता में कमी परिलक्षित हो।
- जल स्रोत जिस पर ग्रामीण पेयजल हेतु निर्भर हो-
  - जल स्रोत जिसका प्रयोग केवल पेयजल योजनाओं हेतु हो के जल स्राव/प्रवाह में विगत 5 वर्षों में कमी परिलक्षित हो।
  - जल स्रोतों, जिनका ग्रामीणों द्वारा पेयजल एवं अन्य आवश्यकता हेतु स्वयं उपयोग किया जा रहा है, ऐसे जल स्रोतों पर ग्रामीणों की निर्भरता के प्रतिशत के आधार पर।
  - ऐसे जल स्रोत जिनका प्रयोग केवल कृषि फसलों की सिंचाई हेतु किया जा रहा हो तथा विगत वर्षों में इनके जल स्राव/प्रवाह में कमी दृष्टिगत हो रही हो।

Critical सूख रहे जल स्रोतों के उपचार हेतु वरियता क्रम को सुनिश्चित करने हेतु सारणी तालिका-1 में दी गई है।

तालिका–1

जनपद स्तर पर विभिन्न जल स्रोतों के उपचार हेतु चिन्हीकृत कर प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु प्रमुख बिन्दु										
क्रमांक	**विवरण**		**अंक**		**अंक**		**अंक**		**अधिकतम अंक**	**प्राप्तांक**
1	बारहमासी जल स्रोत जो पूर्णतः सूख गया हो								200	200
2	बारहमासी से मौसमी जल स्रोत में परिवर्तित हुये जल स्रोत में जल की माहवार उपलब्धतता	10 माह	20	8 माह	40	6 माह	60	3 माह	80	
3	जल स्रोत जिस पर ग्रामीण पेयजल हेतु निर्भर हो–									
3.1	जल स्रोत जिसका उपयोग केवल पेयजल योजनाओं हेतु हो, के जल स्राव / प्रवाह में विगत 5 वर्षों में कमी का प्रतिशत।	25% तक	10	25% से 50%	20	50% से 75% तक	30	75% से अधिक	40	
3.2	जल स्रोतों, जिनका ग्रामीणों द्वारा पेयजल एवं अन्य आवश्यकता हेतु स्वयं उपयोग किया जा रहा है, ऐसे जल स्रोतों पर ग्रामीणों की निर्भरता का प्रतिशत।	25% तक	10	25% से 50%	2	50% से 75% तक	30	75% से अधिक	40	
4	ऐसे जल स्रोत जिनका प्रयोग केवल कृषि फसलों की सिंचाई हेतु किया जा रहा हो तथा विगत वर्षों में इनके जल स्राव/प्रवाह में कमी दृष्टिगत हो रही हो।	25% तक	10	25% से 50%	20	50% से 75% तक	30	75% से अधिक	40	
	योग								**200**	

2. सहायक नदियों/धाराओं/ River Rejuvenation के वरीयता निर्धारण हेतु मानक–

जनपद स्तर पर स्थित वर्षा आधारित नदियों में विभिन्न कारणों से जल प्रवाह या स्राव– समयावधि में कमी परिलक्षित हो सकती है। अतः जनपद स्तर पर, ऐसी नदियों के उपचार हेतु चयनित किये जाने के विभिन्न मापदण्ड अपनाये जा सकते है। जिनमें से कुछ परिस्थितियाँ निम्नवत हो सकती है:–

- ऐसी नदियाँ जिनमें प्राकृतिक रूप से जल स्राव / प्रवाह में विगत वर्षों में कमी परिलक्षित हुई।
- ऐसी नदियाँ जिनसे विभिन्न पेयजल योजनाओं या सिंचाई योजना हेतु जल का उपयोग किया जा रहा हो और विगत 10 वर्षों में नदी के जल प्रवाह में कमी होने के कारण उक्त योजनाएं की क्षमता में विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो।
- नदियों की सहायक नदियों / नाले / धारों में जल उपलब्धता में कमी अथवा सूख जाना।
- ऐसी मुख्य नदियाँ व सहायक नदियाँ जिनके अन्तर्गत जन समुदाय की विभिन्न लाभकारी गतिविधियों हेतु विभिन्न क्षेत्रों में जल संचय की आवश्यकता हो परन्तु जल संचय न किया जा पा रहा हो।

सहायक नदियों / धाराओं / River Rejuvenation के वरीयता निर्धारण हेतु वरीयता क्रम को सुनिश्चित करने हेतु तालिका–2 में दी गई है।

तालिका-2

	जनपद स्तर पर विभिन्न वर्षा आधारित नदियों के उपचार हेतु प्राथमिकता निर्धारण हेतु प्रमुख बिन्दु
क्र. सं.	**विवरण**
1.	ऐसी नदियाँ जिनमें प्राकृतिक रूप से जल स्राव / प्रवाह में विगत वर्षों में कमी परिलक्षित हुई हो।
2.	ऐसी नदियाँ जिनसे विभिन्न पेयजल योजना या सिंचाई योजना हेतु जल का उपयोग किया जा रहा हो और विगत 10 वर्षों में नदी के जल प्रवाह में कमी होने के कारण उक्त योजनाएं की क्षमता में विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो।
3.	नदियों की सहायक नदियों / नाले / धारों में जल उपलब्धता में कमी अथवा सूख जाना।
4.	ऐसी मुख्य नदियाँ व सहायक नदियाँ जिनके अन्तर्गत जन समुदाय की विभिन्न लाभकारी गतिवधियों हेतु विभिन्न क्षेत्रों में जल संचय की आवश्यकता हो परन्तु जल संचय न किया जा पा रहा हो।

नोटः- उपरोक्त दिशा-निर्देश, चयन मापदण्ड एवं scoring criteria का उपयोग प्राथमिकता निर्धारण किए जाने हेतु किया जा सकता है।

उपरोक्त सम्भावित विभिन्न कारणों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर चिन्हित किए गये जल स्रोतों एवं चयनित नदियों / धाराओं को प्राथमिकतावार आगामी जल संरक्षण अभियान 2024 में उपचारित किए जाने हेतु वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी, प्रस्तावित कार्यों को विभागीय बजट एवं convergence के माध्यम से भी किया जायेगा।

3. मैदानी क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण से भू-जल रिचार्जः-

- मैदानी क्षेत्रों में भू-जल रिचार्ज क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, देहरादून की विभिन्न जनपदों की भू-जल रिपोर्ट का प्रयोग किया जा सकता है यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर भू-जल रिचार्ज क्षेत्रों को उपचार हेतु चिन्हित किया जा सकता है।
- केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न भू-जल रिचार्ज गतिविधियों की उपयुक्ता एवं तकनीकों के सम्बन्ध में भी विस्तृत गाईडलाईन का उपयोग विभिन्न प्रस्तावक विभागों द्वारा भू-जल रिचार्ज हेतु किया जा सकता है। मैदानी क्षेत्रों में भू-जल रिचार्ज करने हेतु रिचार्ज शॉफ्ट, रिचार्ज जलाशय, रिचार्ज पिट, नगरीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि गतिविधियाँ की जा सकती हैं।

रिचार्ज शॉफ्ट

एक कृत्रिम संरचना है, जिसका निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ भूजल स्तर में कमी आ रही है। रिचार्ज शॉफ्ट के द्वारा सतही वर्षा जल अपवाह को भूमिगत जल भण्डार में वृद्धि हेतु पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, ताकि भूजल स्तर में वृद्धि हो सके।

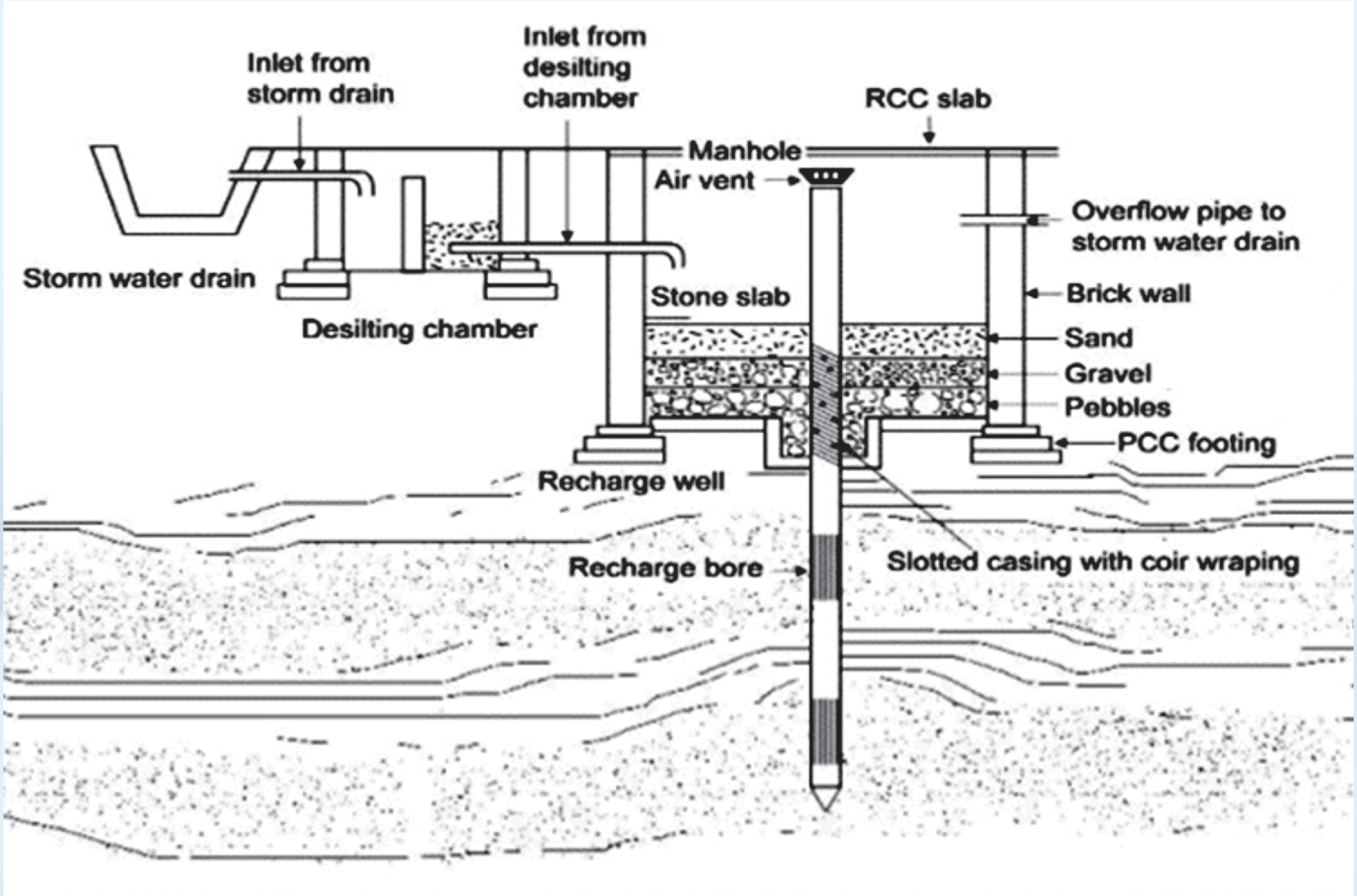

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा समय-समय पर राज्य के विभिन्न मैदानी क्षेत्रों में भू-जल की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाती है। अतः इस गतिविधि की प्राथमिकता निर्धारित किये जाने हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक है। रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण गतिविधि, जलभृत (ुनपमित) को सीधे रिचार्ज करने के लिए सबसे कुशल एवं प्रभावी संरचना है। परन्तु रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण से जलभृत (Aquifer) में कोई विपरीत प्रभाव न पड़े इस हेतु विभिन्न विभाग जो रिचार्ज शॉफ्ट गतिविधि को क्रियान्वित कर रहें हों, वे आवश्यक रूप से केन्द्रीय भू-जल बोर्ड देहरादून से इस हेतु फिज़िबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त गतिविधि का सम्पादन करेंगे।

भूजल पुनर्भरण (Ground Water Recharge)

भूजल पुनर्भरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें पानी धरती की सतह से नीचे रिसता है और जलभृतों (AQUIFERS) में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को गहरे रिसाव या भूजल स्तर को रिचार्ज करने के रूप में भी जाना जाता है। भूजल पुनर्भरण दो प्रकार से किया जाता है–

भूजल पुनर्भरण
Ground Water Recharge

प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण
(Natural through Water Cycle)

कृत्रिम भूजल पुनर्भरण पुनर्भरण
(Artificial Ground Water Recharge)

- Recharge Shafts
- Percolation Tanks
- Dug Wells
- Check Dams/Bunds/Gabion structures

भूजल पुनर्भरण का उदेद्श्य उपरोक्त निर्माण तकनीकों का उपयोग करके सतही जल को भूजल जलाशय में प्रवेश कराकर भूजल स्तर को बढ़ाना है।

भूजल पुर्नभरण तकनीक आम तौर निम्नलिखित कारणों हेतु क्रियान्वित की जाती है–

- उन क्षेत्रों में जहॉं, जलभृत AQUIFER सूख गये हो एवं भूजल का स्तर नियमित रूप से कम हो रहा हो, उनका पुर्नभरण।
- उन क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त मात्रा में जलभृत सूख चुके हो,
- भविश्य की आवश्यताओं के लिए अतिरिक्त सतह के पानी का संरक्षण एंव भण्डारण।
- मौजूदा भूजल में अन्य अशुद्धियों को हटाकर पुन: पानी की गुणवत्ता में सुधार हेतु।

भूजल पुर्नभरण के लाभ–

- पुनर्भरण से जलभृतों की पूर्ति होती है, जो कि कृषि, उद्योग और घरेलू उदेद्श्य हेतु उपयोगी है।
- सतही जल मिट्टी में रिसता है, जिससे अशुद्धिया स्वंय छन जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- पर्याप्त भूजल स्तर से मिट्टी की नमी और वनस्पतियों में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।
- पुनर्भरण से भारी वर्षा के दौरान अतिरिक्त जल का भण्डारण करके तथा सतही अपवाह को रोककर बाढ़ के जोखित को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- भूजल भण्डारण में सतही जल संग्रहण की तुलना में वाष्पीकरण (Evpaoration losses) न्यूनतम होता है।
- भूजल पुनर्भरण तकनीक हेतु अधिक भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है।

अध्याय–4

कार्ययोजना का निरूपण एवं उपचार गतिविधियाँ

कार्ययोजना निरूपण हेतु यह आवश्यक है कि जल स्रोतों, सहायक नदियों/धाराओं के जल संग्रहण क्षेत्र एवं धारा क्रम / Stream Order की जानकारी उपलब्ध हो। जल स्रोतों, सहायक नदियों / धाराओं के जल संग्रहण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के धारा क्रम/Stream Order विद्यमान हो सकते हैं, जो निम्नवत: है :–

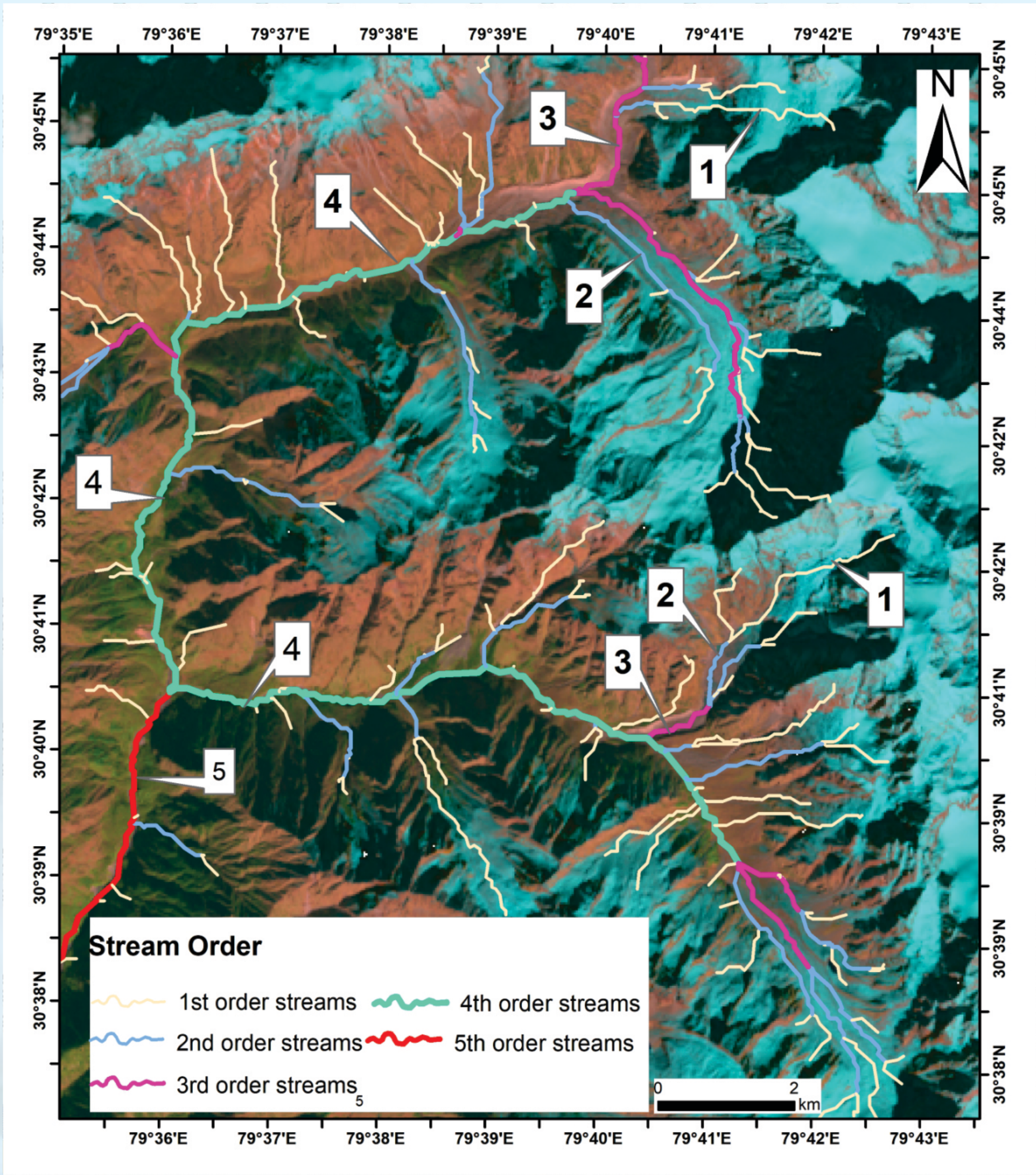

Stream Network and Tributary Orders

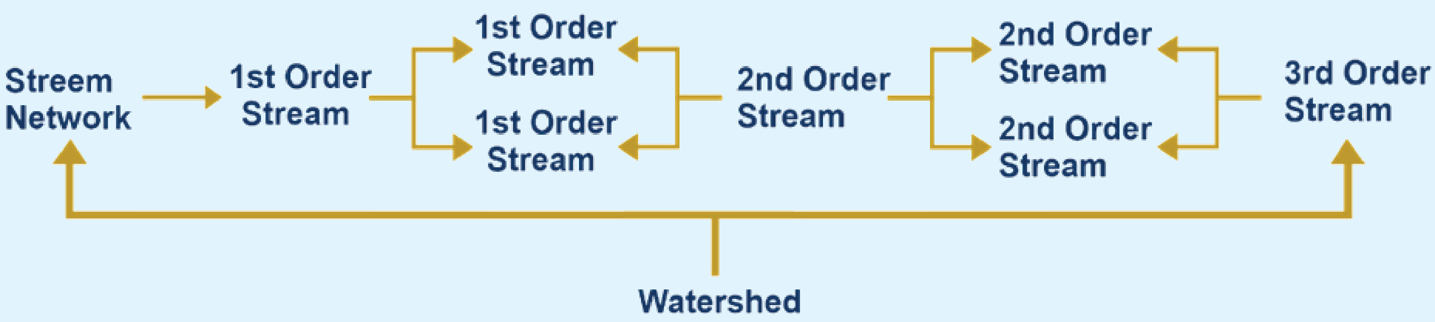

POTENTIAL RECHARGE AREA MAP

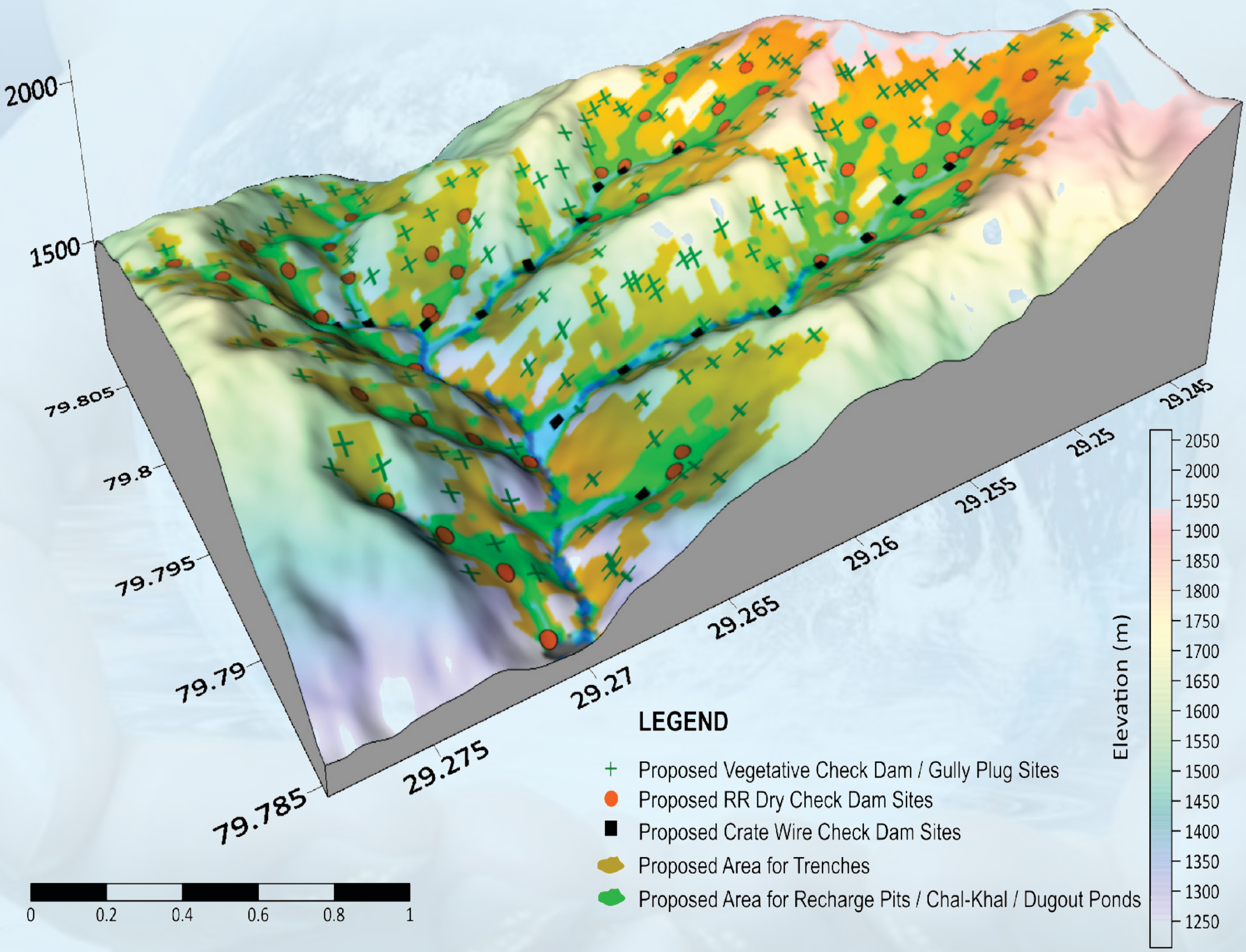

विभिन्न धारा क्रम / Stream Order या निकास मार्ग (Drainage Line) किसी जलागम का वह आवश्यक अंग है, जिसके द्वारा अपवाह एवं अवसाद ले जाया जाता है। ये विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे निकास नालियाँ (Drainage Channels) अवनालिका (गली), प्राकृतिक / कृत्रिम जलमार्ग (Waterways), धाराएं (Streams), नदियाँ या बरसाती नाले (Torrents)। इन निकास मार्गों का संजाल (नेटवर्क) अधिकतर अनियंत्रित अपवाह के कारण अपरदन समस्याओं से ग्रस्त रहता है, जो कि और अधिक बढ़ सकता है तथा समीपवर्ती भूमि को भी अपरदित कर सकता है। इन निकास मार्गो की समीपवर्ती भूमि सामान्यत: अच्छे नमी क्षेत्र एवं अधिक पोशक स्तर होने के कारण अक्सर सघन खेती वाली होती हैं। इस प्रकार धारा क्रम / Stream Order या निकास मार्ग (Drainage Line)उपचार (Drainage Line Treatment)को समन्वित स्रोत उपचार योजना में विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

धारा क्रम (Stream Order) / निकास मार्ग (Drainage Line) के उपचार के मुख्य उद्देश्य-

- भूमिगत जल में वृद्धि (Recharge)।
- जहां कहीं भी संभव हो एवं आवश्यकता हो, जल का भंडारण करना।
- बरसाती नालों में बहाव नियंत्रण, किनारों की सुरक्षा एवं / या भूमि पुनरूद्धार (Land Reclamation)।
- नाले के तल (Bed) तथा समीपवर्ती भूमि में मृदा क्षरण रोकना।
- जैविक उत्पादन हेतु नमी में सुधार करना।

विभिन्न जल स्रोतों, सहायक नदियों, धाराओं के जल संग्रहण क्षेत्र में आवश्कता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की उपचार गतिविधियाँ की जा सकती हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:-

3.1 समोच्च खन्तियाँ / कन्टूर ट्रेंचेज (Contour Trenches):-

जल स्रोतों के उपचार क्षेत्रों में नमी संरक्षण के लिये समोच्च खन्तियाँ / कन्टूर ट्रेंचेज व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है। यह, भूमि ढाल के आर-पार एक जैसे स्तर (Level) के साथ-साथ खन्तियाँ खोदने की विधि है। एक खन्ती / कन्टूर ट्रेंच की सेवा अवधि लगभग 3-4 वर्ष होती है, इतने समय में वनस्पति स्थापित होकर संरक्षण कार्य प्रांरभ कर देती है।

समोच्च खन्तियाँ / कन्टूर ट्रेंचेज वर्शा जल अपवाह का वेग कम करती हैं, तथा अपवाह के सम्पूर्ण या कुछ भाग का भण्डारण करती हैं। रोका गया अपवाह जल, मिट्टी के द्वारा धीरे-धीरे रिसता है, तथा स्थानीय वनस्पतियों हेतु नमी भी उपलब्ध कराता है।

सामान्यत: पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी हुई समोच्च खन्तियाँ (Staggered Contour Trenche) वर्षा जल संरक्षण हेतु निर्मित की जाती हैं। समोच्च खन्तियाँ सामान्यत: 2-3 मीटर लम्बाई में खोदी जाती हैं, तथा क्षेत्र की ढाल के अनुसार इनकी चौड़ाई एवं गहराई क्रमश: 30 से.मी. से 45 से.मी. तक रखी जाती है। समोच्च खन्तियों का निर्माण सीधे एक दूसरे के नीचे एकांन्तर पक्तियों में बिखरे हुए क्रम में बनाई जाती हैं। खन्तियों की निचली ओर निर्मित मिट्टी के बन्धों में चारा घासें लगाई जा सकती हैं, तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण किया जा सकता है। 1 है० क्षेत्र में विभिन्न ढालदार क्षेत्रों में लगभग 200-300 समोच्च खन्तियाँ / कन्टूर ट्रेंचेज का निर्माण किया जा सकता है। सामान्यत: 50 प्रतिशत ढाल से कम ढाल की भूमि में खन्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे अधिक ढाल की भूमि पर मृदा कटाव / अपरदन की संभावना बढ़ जाती है। अत: इस स्थिति से बचा जाना चाहिए।

3.2 रिचार्ज पिट (Recharge Pit) :-

जल स्रोतों के उपचार क्षेत्रों में कम ढालदार भूमि में रिचार्ज पिट्स का निर्माण किया जाता है। रिचार्ज पिट्स द्वारा वर्षा जल को ओर अधिक गहराई तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जो भू-जल रिचार्ज करने में अधिक प्रभावी होता है। सामान्यत: रिचार्ज पिट 2 मीटर लम्बे, 1.5 मी. चौड़े तथा 1.30 मी. गहराई के निर्मित किये जाते हैं। इसके पश्चात् इन पिट्स को 1.20 मी॰ की ऊंचाई तक विभिन्न आकार के पत्थरों को भरा जाता है, तथा उपरी 10 से.मी. की ऊंचाई को 2.5 से.मी. से 5 से.मी. गोलाई के छोटे पत्थरों (Gravels) से भरा जाता है, ताकि वर्षा जल अपवाह इन रिचार्ज पिट्स के माध्यम से भू-जल वृद्धि हेतु संरक्षित किया जा सके।

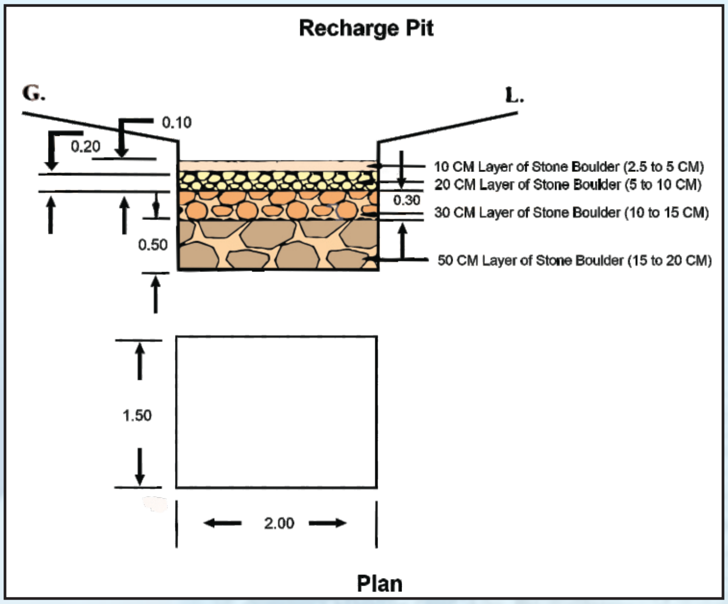

3.3 डग आॅउट पौण्ड (Dug Out Pond) :-

वर्षा जल अपवाह को अधिक मात्रा में एकत्रित किये जाने के उद्देश्य से डग आॅउट पौण्ड या कच्चे तालाबो का निर्माण किया जाता है। इन तालाबों को ऐसे स्थल पर निर्मित किया जाना चाहिए जहाँ पर इसे भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल उपलब्ध हो सके। अतः इनके स्थल चयन से पूर्व तालाब हेतु पर्याप्त जल ग्रहण क्षेत्र (Catchment Area)को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। इस तरह के निर्माण हेतु प्राकृतिक रूप से गहरे स्थान का सबसे निचला बिन्दु उपयुक्त रहता है। स्थल आवश्यकता के अनुरूप इन तालाबों को चौकौर, आयताकार एवं वृत्ताकार रूप में निर्मित किया जा सकता है।

इन तालाबों को भूमि की सतह से नीचे खुदाई कर निर्मित किया जाना चाहिए। सामान्यतः इनकी गहराई 1 से 1.50 मी. रखी जानी चाहिए, तथा लम्बाई एवं चौड़ाई जल ग्रहण क्षेत्र से उपलब्ध होने वाले सम्भावित वर्षा जल अपवाह के अनुरूप आवश्यकतानुसार रखी जानी चाहिए।

3.4 चाल खाल (Chal Khal) :-

पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत रूप से जल संरक्षण हेतु चाल खालों का निर्माण किया जाता रहा है, जो सामान्यतः ग्राम के समीपवर्ती वन एवं चारागाह क्षेत्रों में निर्मित की जाती थी। जल स्रोतों के उपचार क्षेत्रों में स्थित ऐसे चाल खालों को पुर्नजीवित करने हेतु इनमें भरी गाद / मिट्टी आदि को हटाकर इनकी जल संग्रहण क्षमता को पुनर्विकसित किया जाना चाहिए।

यदि उपचार क्षेत्र में इस प्रकार के चाल खाल निर्माण की सम्भावना हो तो अधिकाधिक वर्शा जल अपवाह को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से इनका निर्माण किया जाना चाहिए। चाल खाल का आकार स्थल विशेष के लिये अलग-अलग प्रकार का होगा। चूंकि इनमें काफी अधिक मात्रा में वर्शा जल अपवाह एकत्र होने की सम्भावना होगी। अतः एकत्रित होने वाले जल की मात्रा के अनुरूप ही इनका निर्माण / अभियांत्रिकीय डिजायन किया जाना चाहिए।

3.5 धारा क्रम (Stream Order) / निकास मार्ग (Drainage Line) के उपचार हेतु प्रमुख गतिविधियाँ :-

3.5.1 चैक डैम (रोक बांध)

विभिन्न धारा क्रम / Stream Order या निकास मार्ग (Drainage Line)को उपचारित करने हेतु इसके अपवाह को बाधित कर जल का वेग कम करना आवश्यक है। चैक डैमों की श्रृंखला, ढाल को कम उतार (Drop) के समतल पायदानों (Steps) की कतार में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। ये रोक बाँध / चैक डैम पानी एवं मलबे को उपर ही रोकने में मदद करते हैं। निकास मार्ग के आकार, इसके ढाल, अपवाहक्षेत्र, भूमि प्रयोग, शीर्ष अपवाह बहाव (Peak Run-Off) तथा समस्या की गंभीरता के आधार पर उपयुक्त प्रकार के चैक डैम का चुनाव

किया जा सकता है। सैंद्धातिक रूप से चैक डैम की श्रृखंला इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि उपरी तरफ के चैक डैम का धरातल, इससे निचली तरफ के चैक डैम के उपरी स्तर के समकक्ष हो। विभिन्न प्रकार के धारा क्रम / Stream Order या निकास मार्ग (Drainage Line) के उपचार हेतु सामान्यत: निम्नलिखित प्रकार के चैक डैम निर्मित किये जा सकते हैं:-

- जीवित (Live) चैक डैम/वानस्पतिक अवरोध
- अस्थाई चैक डैम
- गैबियन चैक डैम

3.5.1.1 जीवित (Live) चैक डैम-

जीवित चैक डैम स्थानीय उपयुक्त वनस्पतियों जैसे घासें, झाड़िया, वृक्ष लगाकर बनाये गये अवरोध हैं, जो भू-क्षरण को रोकने तथा अच्छी मृदा एवं नमी स्तर को बनाये रखने के लिये छोटे नालों / गली (Gully) के आर-पार लगाये जाते हैं। प्रांरभिक चरण में गली (Gully) से प्रांरभ करते हुए वानस्पतिक अवरोध छोटे नालों के आर-पार लगाए जा सकते हैं। इस कार्य के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रजातियां जैसे नेपियर, शिमालू (वाईटैक्स), रामबाँस (अगेव), नलकूल (अरूंडो डोनेक्स), खिन्ना, बेशरम, स्थानीय उपलब्ध बाँस प्रजातियाँ आदि प्रयोग की जा सकती हैं।

इस प्रकार के लाईव चैक डैम निर्माण में 20 से.मी. पंक्ति से पंक्ति की दूरी में घासों की 2 पंक्तियाँ लगाई जाती हैं, तथा घास पंक्तियों के निचली तरफ उक्तानुसार विभिन्न प्रकार की झाड़ियों की एक पक्ंति लगाई जा सकती हैं।

3.5.1.2 अस्थाई चैक डैम-

First Order Stream की गली/नालियों जिनमें कम मात्रा में वर्षा जल अपवाह आता है, इन्हें अस्थाई चैक डैम निर्माण कर पुर्नस्थापित किया जा सकता है। इनका निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, झाड़ियों, लकड़ी के लट्ठों आदि से बनाये जाते हैं। चीड़ बाहुल्य क्षेत्रों में पिरूल चैक डैम अस्थाई चैक डैम के रूप में निर्मित किये जा सकते हैं।

इन प्रकार के चैक डैम 3 से 5 वर्षों तक क्रियाशील रह सकते हैं। इस अवधि में इन चैक डैमों में वानस्पतिक आवरण में वृद्धि होती है तथा गली के कटाव में भी कमी आती है। इस प्रकार की संरचना की ऊंचाई 1 मी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.5.1.3 ब्रशवुड चैक डैम / Brushwood Check Dam –

इस प्रकार के चैक डैम स्थानीय रूप से जंगलों में झाड़ियों की टहनियों का प्रयोग कर बनाये जाते हैं। यह चैक डैम मुख्यत: दो प्रकार के हो सकते हैं-

1. एक पक्ंति वाले ब्रशवुड चैक डैम
2. दो पक्ंति वाले ब्रशवुड चैक डैम

ब्रशवुड चैक डैम केवल कम गहरी गली के उपचार हेतु निर्मित किये जाने चाहिए। सामान्यत: गली की गहराई 1 मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा इन्हें उन्हीं स्थानों पर निर्मित किया जाना चाहिए, जहाँ इस हेतु आवश्यक वानस्पतिक सामग्री उलपब्ध हो।

➢ एक पक्ति वाले ब्रशवुड चैक डैम

इस प्रकार के चैक डैम लकड़ियों के खूटों की एक पंक्ति में वृक्षों की लम्बी शाखाओं को लम्बाई की ओर से बाँध कर बनाये जाते हैं। गली क्षेत्र को पहले 1:1 के ढाल पर बनाया जाता है तथा गली की स्तह को लगभग 25 से.मी. तक खोदा जाता है। इसके पश्चात 10–15 से.मी. व्यास के लकड़ी के खूंटे लगभग 0.70–0.90 मी. गहराई तथा बांध लाईन के साथ 0.60–0.90 मी. की दूरी पर गाढ़े जाते हैं। इनके ऊपरी सिरे इस प्रकार रखे जाते हैं कि अतिरिक्त जल की निकासी हेतु बीच में थोड़ा गहराई लिये एक चन्द्रांकार आकृति बन जाये। एक ब्रशवुड चैक डैम के लिये 0.3–0.7 मी. की औसत उंचाई पर्याप्त है। इसके निचली तरफ ब्रशवुड चटाई बिछाई जाती है, जो इस डैम के लिए एप्रन का काम करती है, तथा निचले क्षेत्र को क्षरण से बचाती है।

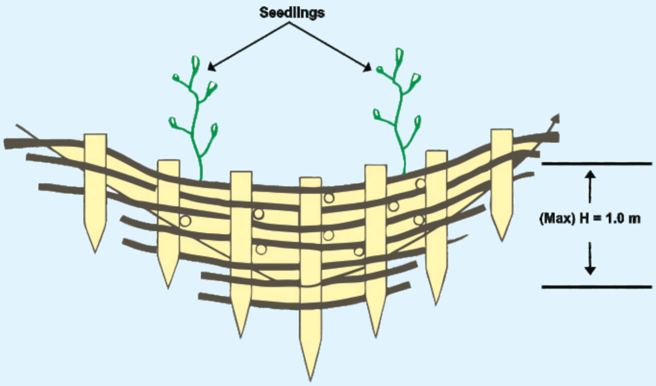

Single Row Brush Wood Check Dam

➢ दो पक्ति वाले ब्रशवुड चैक डैममध्यम एवं गहरी नालियों के होने की दशा में (लगभग 2 से 2.5 मी. गहरी एवं लगभग 6 मी. चौड़ी) दो पक्तियों वाले ब्रशवुड चैक डैम अधिक उपयुक्त हैं। इस प्रकार के बांध का निर्माण भी एक पक्ति वाले बांध की तरह ही किया जाता है। केवल दो पक्तियों के मध्य 0.9 मी. से कम दूरी रखी जाती है।

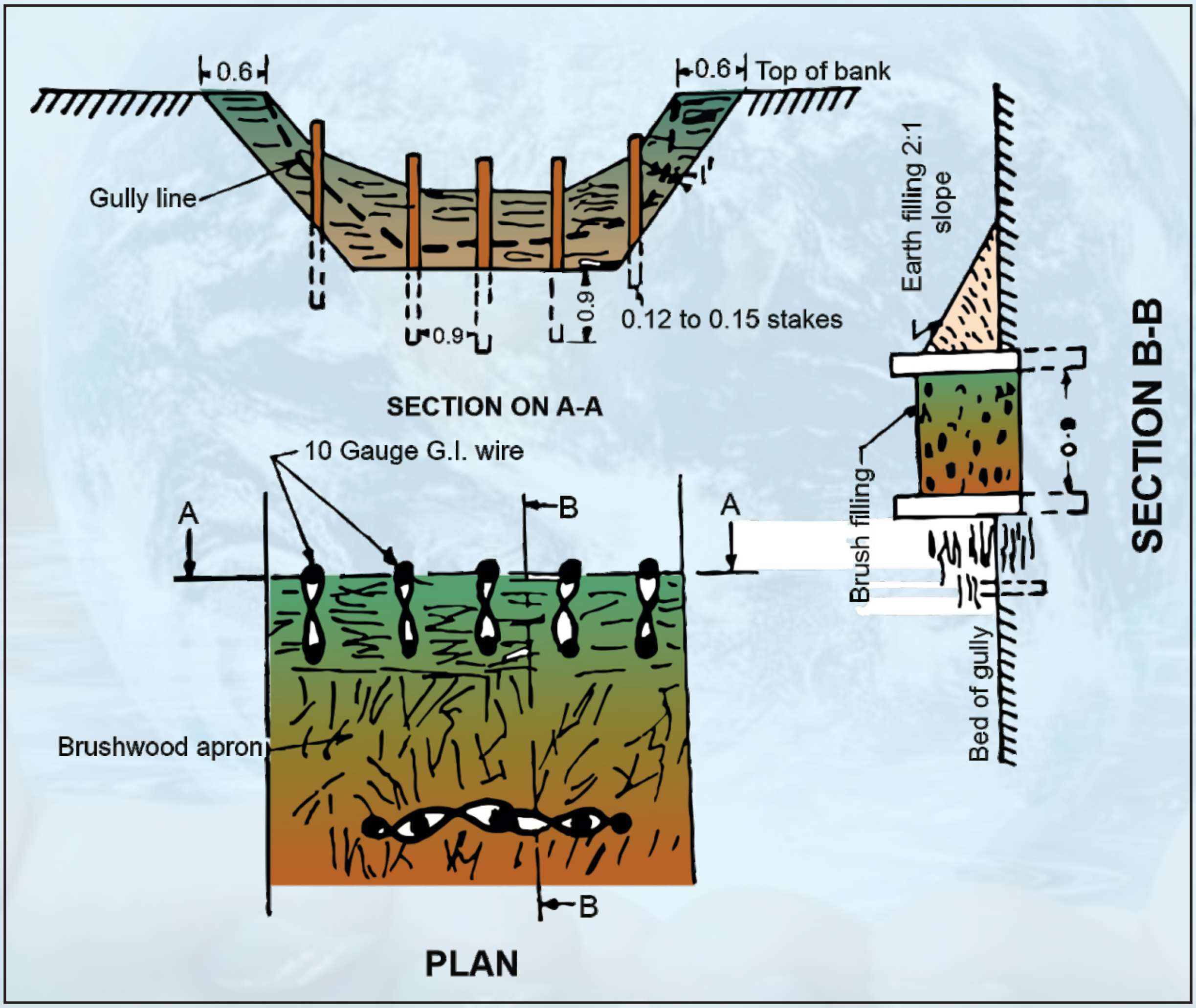

Double Row Brush Wood Check Dam

3.6 Loose Boulder Check Dam एवं Dry Stone Check Dam

इन चैक डैमोंका निर्माण सामान्यतः First & Second Order Stream को उपचारित करने हेतु किया जाता है, ताकि अपवाह को नियंत्रित किया जा सके, और इन संरचनाओं में वर्शा जल को संग्रहित किया जा सके। इन संरचनाओं में अपवाह के साथ गाद/सिल्ट भी एकत्रित होती है, जो वानस्पतिक पुनरोत्पादन हेतु सहायक सिद्ध होती है। इन संरचनाओं को निकास मार्ग के ऊपरी स्थानो में, मुख्य नालों की नई बनी शाखाओं में निर्मित किया जाता है। सामान्यतः 100 मी. से कम लम्बाई के गली/नालों में इनका निर्माण किया जाना चाहिए।

इन चैक डैमों की उपरी चौड़ाई 0.5 मी., पार्श्वढाल (Side Slope) :- 0.5 क्षैतिज (H): 1 उर्ध्व (V), बुनियाद की गहराई 0.3-0.5 मी., धरातल स्थल से उपर उंचाई -0.5-1.0 मी., किनारों के अन्दर प्रवेश दूरी (Hooking) 0.3 0.6 मी. रहनी चाहिए।

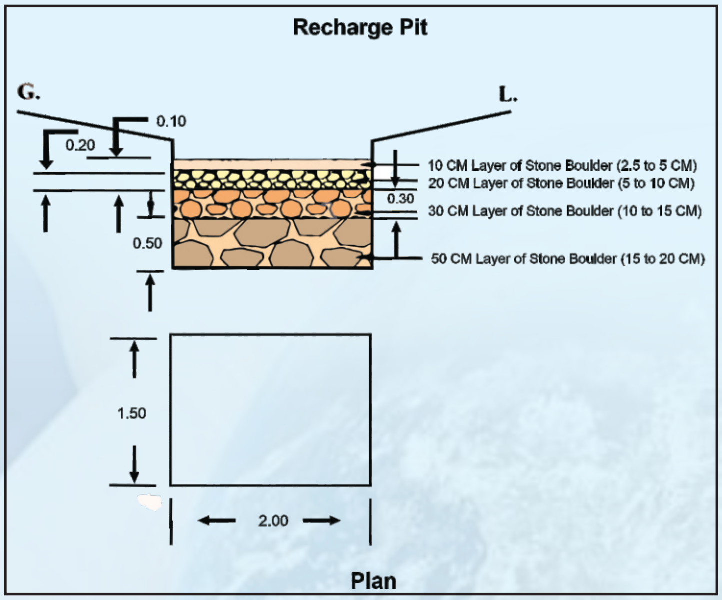

Loose Boulder Check Dam

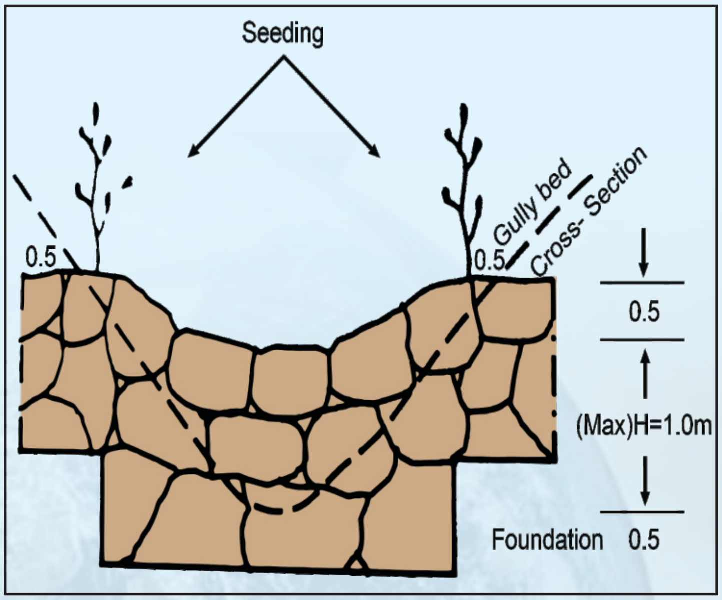

Front View of a Loose Boulder Check Dam

3.7 Crate Wire/Gabion Check Dam

2nd and 3rd Order Stream के नालों / धाराओं के उपचार तथा जल संग्रहण, मलबे एवं मृदा बहाव की रोकथाम के लिए इन संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इन संरचनाओं द्वारा नाला ढलान में कमी आती है, तथा अपवाह के वेग भी बाधित होता है, जिससे मृदा में नमी स्तर में वृद्धि होती है। इस कारण वानस्पतिक आच्छादन बढ़ता है।

इन चैक डैमों की उपरी चौड़ाई 1 मी., नींव की गहराई 0.3–0.5 मी., धरातल स्थल से उपर उंचाई–1 से 3 मी., किनारों के साथ पकड़ (Keying into banks) 0.3 से 0.6 मी. अन्दर तक। जी.आई वायर– 10 गेज (3-15 mm dia) Galvanized Iron Wire, Hot Dipped Zinc Coated, जाली आकार 15 cm x 15 cm से 20 cm x 20 cm रहनी चाहिए।

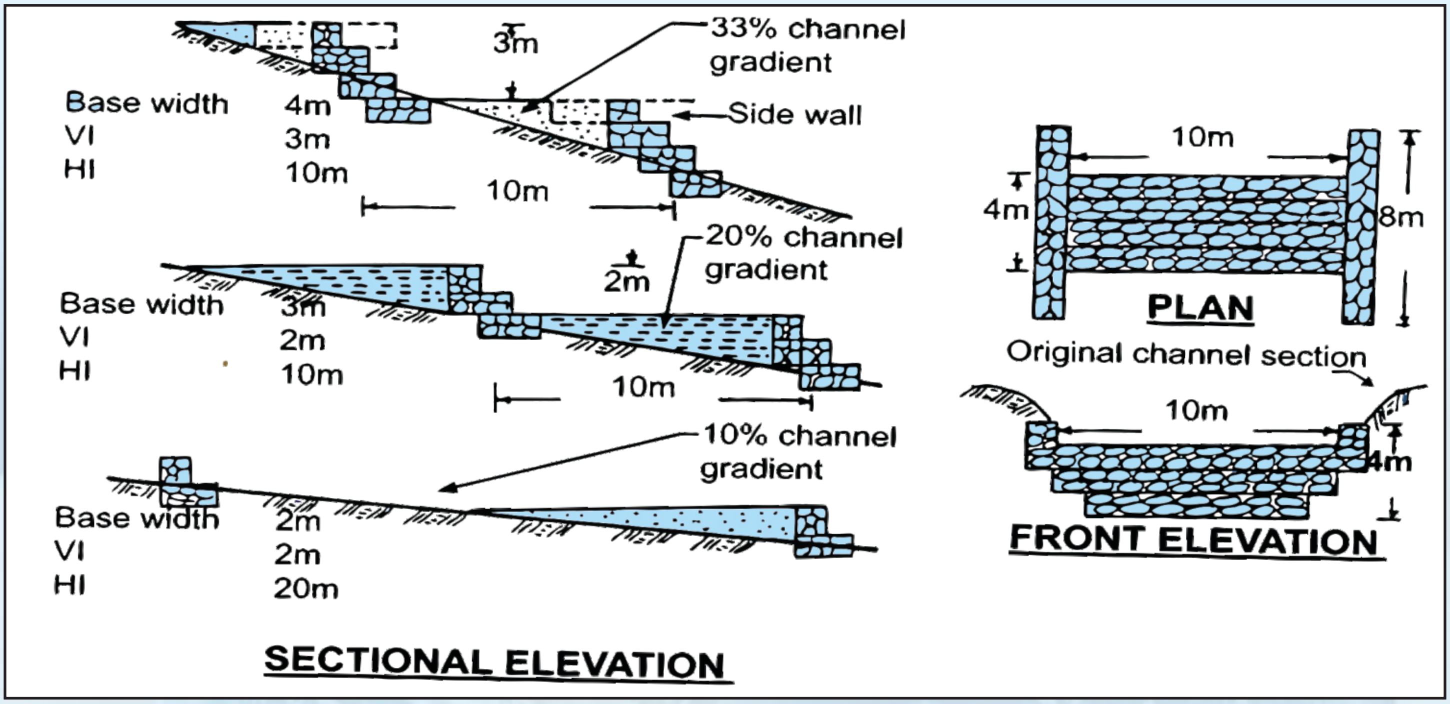

3.8 Cemented Check Dam

इन चैक डैमों का निर्माण 2nd and 3rd Order Stream में जल संरक्षण हेतु किया जा सकता है, ताकि नालों/धाराओं में अधिकाधिक जल संरक्षित किया जा सके। इस संरक्षित जल का उपयोग विभिन्न कार्यों हेतु किया जा सकता है। साथ ही यह संरचनाएं भू–जल में वृद्धि हेतु सहायक होती हैं।

इनका डिजायन सम्बन्धित नालों/धाराओं उपलब्ध बहाव एवं वर्षाकाल के अपवाह, नालों / धाराओं के ढाल के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, ताकि वर्शाकाल में भी यह संरचनाएं सुरक्षित रह सकें।

विभिन्न भूमि ढाल और चैक डैम उंचाईयों के लिये चैक डैम के बीच की दूरियाँ :-

Land slope (%)	Spacing of check dams for height (m)		
	0.45	0.75	1.00
1	152	253	337
2	75	125	167
3	50	86	111
4	38	63	83
5	30	50	67
6	25	42	56
7	21	36	48
8	19	31	42
9	17	28	37
10	15	25	34
11	14	23	30
12	13	21	28
13	12	19	26
14	11	18	24
15	10	17	22
16	9	16	21
17	9	15	20
18	8	14	19
19	8	13	18
20	8	13	17
21	4	7	10
22	4	7	9
23	4	7	9
24	4	6	8
25	4	6	8

3.9 वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियां :-

विभिन्न जल स्रोतों / नदियों / धाराओं के जल संग्रहण क्षेत्रों के उपचार कार्यो में वानस्पतिक आवरण में वृद्धि करना एक दीर्घावधिक महत्वपूर्ण उपचार गतिविधि है। इसके अंतर्गत निम्नानुसार विभिन्न गतिविधियाँ स्थल विषेश अनुरूप चयनित कर की जा सकती हैं:-

3.9.1 वनीकरण / वृक्षारोपण हेतु स्थल तैयारिया:-

चयनित स्थल का वनीकरण पूर्व लेआॅउट किया जाना चाहिए, तथा इस स्थल पर अनावश्यक काष्ठ युक्त झाड़ियों को साफ कर देना चाहिए। यदि नमी की कमी हो तो तद्नुसार ही दो पौधों के मध्य रोपण दूरी निर्धारित की जानाी चाहिए। सामान्य: तौर पर 2 मी. x 2 मी. का अन्तराल उपयुक्त रहता है।

3.9.2 प्रजातियों का चुनाव:-

रोपण हेतु सामान्यत: स्थानीय प्रजातियों का चुनाव किया जाना चाहिए, जो स्थानीय आवश्यकताओं एवं अधिकाधिक नमी संचित करने में सक्षम हों।

3.9.3 मृदा कार्य :-

मृदा कार्य वृक्षारोपण से पहले पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। गहरी मृदाओं में गढ्ढों की गहराई 45-50 से.मी., कंकड़ पत्थर के मिश्रण वाली पथरीली मृदाओं में 50 से.मी. से अधिक गहराई रखी जानी चाहिए। मुख्यत: मृदा कार्य गढ्ढो, रिज- डिच, दोहरी खाईयों, खाई टीलों एवं टीलों में समूहीकृत किये जा सकते हैं।

- **गढ्ढे :-** कम वर्षा एवं अच्छी मृदा गहराई वाले क्षेत्रों में 45 से.मी. x 45 से.मी. x 45 से.मी. के गढ्ढे खोदे जाने चाहिए, तथा खोदी गई मिट्‌टी को तीन से चार सप्ताह के लिए खुला छोड़कर पुन: मिट्‌टी को खोदे गए गढ्ढों में भरने के पश्चात् ही पौध रोपण किया जाना चाहिए।
- **खाई / मेंड़ :-** समोच्च खन्तियों के अन्दर की तरफ या बाहर की तरफ भी नमी की उपलब्धता के अनुरूप वृक्षों को रोपित किया जा सकता है।

3.9.4 बाड़ / फैंसिंग :-

यदि अधिक क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया गया हो तो इसकी सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार यांत्रिक या जैव फैंसिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3.9.5 रोपण :-

एक अच्छी वर्षा के पश्चात् जब गढ्ढों में 30 से.मी. गहराई तक नमी हो, तब कम से कम अवधि में रोपण कार्य सम्पन्न कर लेना चाहिए।

3.9.6 रोपण पश्चात् देखभाल :-

रोपण के पश्चात् पौधों के चारों ओर थावला बनाकर नमी की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। रोपित पौधों के समीप समय-समय पर खरपतवार उन्मूलन किया जाना चाहिए, तथा वनीकरण योजना में आवश्यक रूप से 10-15 प्रतिशत पुनर्रोपित किये जाने हेतु प्राविधान रखा जाना चाहिए, ताकि आगामी वर्षाकाल में इनका रोपण किया जा सके।

अध्याय–5 जल संरक्षण अभियान 2025 के प्रभाव का मूल्यांकन

इस वर्ष जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत किये गये कार्यों का मूल्यांकन समेकित रूप से चिन्हित लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा। अतः इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न जल स्रोतों / सहायक नदियों / धाराओं के जल संग्रहण क्षेत्र में की गई उपचार गतिविधियों का मूल्यांकन निम्न मापदण्डों के अनुरूपकिया जायेगा :–

- जल संरक्षण अभियान 2024 में उपचारित जल स्रोत एवं सहायक नदियों/धाराओं की संख्या।
- जल संरक्षण गतिविधियों में संग्रहित जल का आंकलन। (in cum)
- जल संरक्षण अभियान 2025 में किया गया वृक्षारोपण (in ha.)
- जल संरक्षण अभियान 2025 का प्रभावों का निरंतर मूल्यांकन
    - ➤ जल स्रोतों एवं सहायक नदियों / धाराओं का निरंतर 3–4 वर्ष तक वर्ष में दो बार (January & May)प्रवाह / स्राव मापन (In LPM)

उपचार कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण :–

- समस्त उपचार योजनाओं के अंतर्गत कार्यदायी संस्था / प्रस्तावक विभाग द्वारा ठेंम स्पदमके आंकड़ों को सम्मिलित किया जायेगा।
- समय–समय पर प्रवाह का मापन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसे SARRA द्वारा निर्मित Dashboard / Mobile App पर प्रस्तावक विभाग द्वारा अंकित किया जायेगा।
- प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था स्वीकृत उपचार योजना का विवरण, एवं समय–समय पर इसके सापेक्ष प्रगति का अंकन भी Dash Board में किया जायेगा।
- प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा विभिन्न उपचार क्षेत्रों, उपचार गतिविधियों की Geo Tagging की जायेगी, जो Dash Board पर प्रदर्शित होगी, जिसका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उच्चतम स्तर से भी किया जायेगा।
- उपचार योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु 2 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।
- SARRA द्वारा कार्यों के मूल्यांकन हेतु बाह्य मूल्यांकन एजेंसी का उपयोग भी किया जायेगा।
- यद्यपि समस्त उपचार योजनाओं के अंतर्गत कार्यदायी संस्था / प्रस्तावक विभाग द्वारा Base Line के आंकड़ों को सम्मिलित किया जायेगा, तथा समय–समय पर प्रवाह का मापन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसे SARRA द्वारा निर्मित Dashboard पर प्रस्तावक विभाग द्वारा अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उपचार योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु 2 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया जायेगा । SARRA द्वारा कार्यों के मूल्यांकन हेतु बाह्य मूल्यांकन एजेंसी का उपयोग भी किया जायेगा।
- प्रस्तावक विभाग / कार्यदायी संस्था स्वीकृत उपचार योजना का विवरण Dash Board में अंकित करेगें, एवं समय–समय पर इसके सापेक्ष प्रगति का अंकन भी Dash Board मेंकिया जायेगा।
- प्रस्तावक विभाग / कार्यदायी संस्था द्वारा विभिन्न उपचार क्षेत्रों, उपचार गतिविधियों की Geo Tagging की जायेगी, जो Dash Board पर प्रदर्शित होगी, जिसका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उच्चतम स्तर से भी किया जायेगा।

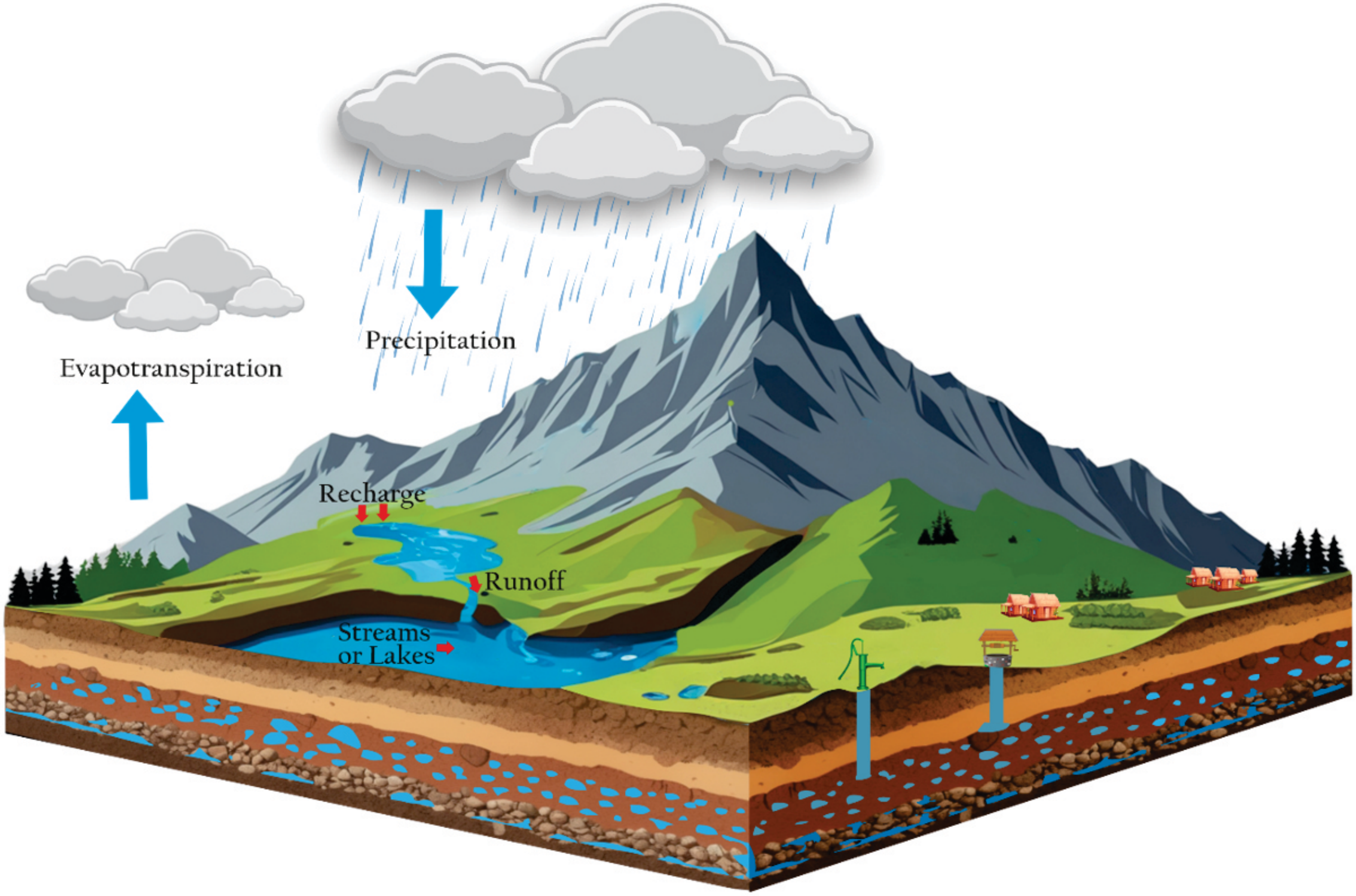

स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन आथॉरिटी
(SARRA)
उत्तराखण्ड

'साल वन', जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड

इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून - 248006

फोन : **0135-2768712, 2760170**

ई-मेल : **sarrauttarakhand@gmail-com,**
wmd-ua@nic.in